प्रेस विज्ञप्ति
24.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने असम सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुनिन्द्र भुयान के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले से संबंधित जांच में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 2.15 करोड़ रुपये मूल्य की अचल एवं चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ (सीएमएसवीसी), गुवाहाटी द्वारा मुनिन्द्र भुयान के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी अधिनियम), 1988 की धारा 13(1)(बी) तथा 13(2) के अंतर्गत उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दायर प्राथमिकी संख्या 01/2023 दिनांक 17.01.2023 के आधार पर जांच की शुरुआत की। सीएमएसवीसी द्वारा दायर आरोपपत्र में यह खुलासा किया गया कि 01.04.2001 से 28.02.2022 की जांच अवधि के दौरान, श्री मुनिन्द्र भुयान ने विभिन्न पदस्थापनाओं पर खाद्य निरीक्षक तथा वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक 3.80 करोड़ रुपये की संपत्तियां अर्जित कीं, जो कि उक्त जांच अवधि के दौरान उनकी ज्ञात आय का 223.19% है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से यह उजागर हुआ कि मुनिन्द्र भुयान ने उनके स्वयं के नाम पर अथवा उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर गुवाहाटी में अनेक अचल संपत्तियां अर्जित कीं। ऐसा वास्तविक लाभकारी स्वामित्व तथा निधियों के स्रोत को छिपाने के उद्देश्य से किया गया। उक्त संपत्तियों की खरीद पंजीकृत विक्रय विलेखों में प्रतिफल राशि को जानबूझकर कम दर्शाकर की गई, जबकि वास्तविक निष्पक्ष बाजार मूल्य पंजीकृत विलेखों में दर्शाए गए मूल्यों से 10 से 34 गुना अधिक था, जिससे अपराध से अर्जित आय से किए गए वास्तविक नकद निवेश को छिपाया गया।

मुनिन्द्र भुयान तथा उनकी पत्नी के बैंक खातों के विवरणों के विश्लेषण से वर्ष 2007 से 2021 की अवधि के दौरान विभिन्न बैंक खातों में क्रमशः 36,53,000 रुपये एवं 10,80,500 रुपये की व्यवस्थित नकद जमा का पता चला। इन जमाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी भी वैध आय स्रोत का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका तथा ये अपराध की आय के प्लेसमेंट (निवेशन) के संकेतक हैं।

जांच से आगे यह भी स्थापित हुआ कि मुनिन्द्र भुयान तथा उनकी पत्नी ने विभिन्न बीमा कंपनियों में कुल दस जीवन बीमा पॉलिसियां संचालित की थीं। चूंकि संपूर्ण जांच अवधि के दौरान संदिग्ध की संभावित बचत ऋणात्मक होकर (–) 1,84,65,537 रुपये थी, अतः इन पॉलिसियों के प्रीमियम का भुगतान केवल अपराध की आय से ही किया जा सकता था, जो कि परतन (लेयरिंग) तथा एकीकरण के साधन के रूप में प्रयुक्त हुए।

कुर्क की गई संपत्तियों में तीन अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो सभी गुवाहाटी में स्थित हैं, जिनका संयुक्त मूल्य लगभग 1.53 करोड़ रुपये है, साथ ही चल संपत्तियां भी शामिल हैं, जिनमें मुनिन्द्र भुयान तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न खातों में उपलब्ध लगभग 16.07 लाख रुपये की बैंक शेष राशि तथा लगभग 45.33 लाख रुपये मूल्य के दस जीवन बीमा पॉलिसियों के समर्पण सम्मिलित हैं।

आगे की जांच प्रगति पर है।